

Handwritten signature and date 10/10/04

Handwritten marks: 111, 68, 64

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
[कलकत्ता]

814

कार्यालय आदेश सं-12/2000-12-510-20/04-1-1/सक, पटना, दिनांक 13.10.04

Handwritten: 10/10/04

कार्यालय आदेश

Handwritten: 10/10/04

वित्त विभाग को अधिसूचना संख्या 3/एम.-2-5-वे0पू0-28/99-4685 वि० 2 दिनांक 25-6-2003 के आदेश में चकबंदी निदेशालय के अधीन गठित स्थापना-सह-प्रगति समिति को दिनांक 20-8-04 को बैठक में की गयी अनुशंसा के अन्वये बिहार राज्य सरकारों सेवा शर्तों सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत चकबंदी योजना के अधीन कार्यरत पारंपरिक संदर्भ के निम्नलिखित वर्गों की सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रभावी होने की तिथि 09-08-99 अर्थात् उनके बाद 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से द्वितीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति उनके नाम के सामने कॉलम 4 एवं 5 में अंकित तिथि एवं अंकित वेतनमान में दी जाती है :-

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदस्थापित जिला का नाम	नियुक्ति की तिथि/वेतनमान	प्रथम उन्नयन की देय तिथि/वेतनमान	द्वितीय उन्नयन की देय तिथि/वेतनमान	अ-सुविष्ट
1	2	3	4	5	6
1-	श्री फकीरधन सिंह रोहतास	21.11.73 4000-6000	9.8.99 4500-7000	9.8.99 5000-8000	सभी वर्गों की इसी तिथि को
2-	श्री जाल बाबू, रोहतास	16.12.69 4000-6000	9.8.99 4500-7000	9.8.99 5000-8000	द्वितीय उन्नयन का लाभ मिलने के कारण अलग से वेतन बढ़ा
3-	श्री कृष्ण कान्त झा, वैशाली	24.11.76 4000-6000	9.8.99 4500-7000	9.8.99 5000-8000	देय नहीं होगा
4-	श्री अब्दुल जब्बार, असारी लोहा	11.10.76 4000-6000	9.8.99 4500-7000	9.8.99 5000-8000	
5-	श्री शैबदादादगार हुसैन लोहा	27.2.73 4000-6000	9.8.99 4500-7000	9.8.99 5000-8000	तथैव
6-	श्री मुख्तार अली, वैशाली	9.11.71 4000-6000	9.8.99 4500-7000	9.8.99 5000-8000	तथैव
7-	श्री अजय मोहंती, लोहा	5.10.71 4000-6000	9.8.99 4500-7000	9.8.99 5000-8000	तथैव

सकपू०

2- वित्त विभाग की उक्त कॉलिका 8 के अनुसार उपरोक्त प्रावधानों को दिनांक 1-1-1996 के पूर्व काजब/कनोय प्रपर कोटि में प्रोन्नति दिये जाने के कारण 9-8-99 के प्रभाव से प्रथम वित्तीय उन्नयन में वेतन निर्धारण के मौलिक नियमावली 22(1) ए॥ 2 के अनुसार केवल अगला प्रथम-पद वेतन निर्धारित किया जायेगा तथा 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन 9-8-99 के प्रभाव से मौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए॥ 1 के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ देय होगा अर्थात् वेतनमान में केवल एक वेतन न्यूनतम 100/- रुपये जोड़कर वेतनमान में अगले प्रथम पर वेतन निर्धारित का जायेगी।

3- उपर्युक्त प्रकार की कर्मी के संबंध में किसी प्रकार की द्रुति या मार्धका पाये जाने पर संबंधित कर्मी को दो गयी ए॥ 0॥ 0॥ 0 योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि को बज्जी/प्रति-प्रति कर ला-जायेगी।

(सुधीर कुमार)
निदेशक, पकंदी, बिहार, पटना।

नामांक --- BIA --- / पक०, पटना, दिनांक 13, अक्टूबर, 2004

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सोहतास/वैशाली एवं सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि- उप निदेशक, पकंदी, सोहतास, वैशाली एवं सीवान को भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि सुनिश्चित वित्त उन्नयन के लाभ के लिए आने उत्तर से वेतन निर्धारित कर क्रोडर कार्यवाई करें।

(सुधीर कुमार)
निदेशक, पकंदी, बिहार, पटना।